

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र/बोर्ड/नियमन/अधिनियम संशोधन समिति/2023/ 2 8 0 7

भोपाल, दिनांक 15/06/2023

सूचना

मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के आदेश क्रमांक 4/0002/2023 Sec-2-14(AGR)/191876/447 दिनांक 19 अप्रैल 2023 से मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 में संशोधन के लिए सुझाव एवं अनुशंसा प्रस्तुत करने हेतु समिति गठित की गई है।

उक्त समिति के द्वारा सभी हितधारकों - मंडी समिति/ मंडी बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारी, कृषक, व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता, हम्माल, तुलावटी, व्यापारिक संघों एवं अन्य आमजनों से मंडी अधिनियम एवं मंडी उपविधि में वर्तमान परिदृश्य तथा डिजिटलाइजेशन के कारण वर्तमान आवश्यकता अनुरूप अपेक्षित संशोधन के संबंध में सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं।

सभी इच्छुक हितधारक, आमजन, संस्थाएं - शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी, दिनांक 15 जुलाई, 2023 तक अपने लिखित सुझाव ई-मेल, डाक, स्वयं या अन्य संचार माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। ई-मेल, गूगल फॉर्म, कार्यालय का विवरण निम्नानुसार है -

1. ईमेल आईडी - mpmandiact1972.amendment@gmail.com पर (Scanned पीडीएफ एवं MS Word में सॉफ्ट कॉपी सहित) सुझाव प्रेषित कर सकते हैं।

2. निम्न लिंक के माध्यम से गूगल फॉर्म पर जाकर सुझाव दर्ज कर सकते हैं।

गूगल फॉर्म का लिंक - <https://shorturl.at/syKTV>

3. कार्यालय का पता - मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल - 462004 (म प्र)

(प्रबंध संचालक महोदय के अनुमोदन उपरांत प्रसारित)

VAn
15.06.2023

(अविनाश पाठे)
सहायक संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
मुख्यालय - भोपाल

भोपाल, दिनांक 15/06/2023

क्र/बोर्ड/नियमन/अधिनियम संशोधन समिति/2023/ 2 8 0 8

प्रतिलिपि

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय - भोपाल, सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक/ उप संचालक/ सहायक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय - भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं विषय संदर्भ में सुझाव प्रदान करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

3. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल। प्रबंध संचालक महोदय के निर्देशानुसार उक्त सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराए जाने का अनुरोध है।
4. चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय - भोपाल, उक्त सूचना को विभागीय वेबसाइट, ई-अनुज्ञा पोर्टल, ई-मंडी एप, फार्मगेट एप पर अपलोड कराए जाने का अनुरोध है।
5. जनसंपर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय - भोपाल, उक्त सूचना का सभी हितधारकों के मध्य निःशुल्क (बिना किसी व्यय के) प्रचार-प्रसार कराए जाने का अनुरोध है।
6. संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय - _____ (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं विषय संदर्भ में सुझाव प्रदान करने के अनुरोध के साथ प्रेषित। उक्त सूचना का सभी हितधारकों के मध्य निःशुल्क (बिना किसी व्यय के) प्रचार-प्रसार कराए जाने का भी अनुरोध है।
7. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति - _____ (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं विषय संदर्भ में सुझाव प्रदान करने के अनुरोध के साथ प्रेषित। उक्त सूचना का सभी हितधारकों के मध्य निःशुल्क (बिना किसी व्यय के) प्रचार-प्रसार करने, नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने, व्यापारी/ हम्माल/ तुलावटी संघों को सूचित करने का अनुरोध है। उक्तानुसार संबंधितों को सूचित किए जाने संबंधी अभिलेख भी संधारित किया जाए।
8. समिति के सदस्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय - भोपाल के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु।


सहायक संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
मुख्यालय - भोपाल